मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र – इन्दौर

क्रमांक 6096 / 51 / 2016 / चयन इन्दौर दिनांक 13 JUL 2017

//विज्ञप्ति//

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पद हेतु साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त किये जाने बाबद सूचना ।

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/परीक्षा/2016/दिनांक 18.05.2016 के अन्तर्गत पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया हैं । उक्त विज्ञापन के अंतर्गत उपरोक्त पद हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 25.09.2016 को आयोजित की गई थी । लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 02.11.2016 को जारी किया गया था ।

2/ लिखित परीक्षा के परिणाम में समस्त अर्ह आवेदकों को निर्देशित किया गया था कि आयोग की बेबसाइट से व्यक्तिगत विवरण पत्रक, अनुप्रमाणन फार्म की 01 प्रति प्राप्त की जाकर उसकी आवश्यक पूर्ति कर शैक्षणिक अर्हताओं के अभिलेख सहित आवेदन आयोग कार्यालय में दिनांक –05.12.2016 तक सांय 5.30 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । जिन आवेदकों के अभिलेख प्रपत्रों सहित आयोग को प्राप्त नहीं होगें उन आवेदकों के संबंध में यह माना जावेगा कि वे साक्षात्कार की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं । ऐसे आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त की जावेगी ।

01. निम्नलिखित आवेदकों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से आदेशानुसार साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त की जाती हैं :–

स.क.	रोलनंबर	नाम
01.	VS1512	अनुराधा गुप्ता
02.	VS1395	अर्पणा रायकवार

02. निम्नलिखित आवेदक के अभिलेख आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने से साक्षात्कार की उम्मीद्वारी आदेशानुसार निरस्त की जाती हैं :–

स.क.	रोलनंबर	नाम
01.	VS1201	मनीष चौरसिया

3/ आयोग द्वारा जारी उक्त विज्ञापन में प्रकाशित कंड़िका अनुसार विधि के नियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन, पद के विज्ञापन की तारीख के पूर्व पंजीकृत होकर स्थायी पंजीयन होना अनिवार्य था, निम्नलिखित आवेदकों के पास विज्ञापन के पूर्व स्थायी पंजीयन नहीं होने से साक्षात्कार की उम्मीद्वारी आदेशानुसार निरस्त की जाती हैं :–

अगिरीत...2..

स.क्र.	रोलनंबर	नाम
01.	VS1438	रूचि त्रिपाठी
02.	VS1559	रेशु वर्मा
03.	VS1236	पुष्पराज सिंह
04.	VS1138	आस्था चौरसिया
05.	VS1115	अमित कुमार निखरा
06.	VS1212	रूपेश पटेल

4/ विज्ञापन में अनारक्षित श्रेणी हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित हैं, मध्यप्रेदश के शासकीय कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित हैं । निम्नलिखित आवेदक (संविदा कर्मचारी) को शासकीय कर्मचारियों के समान आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का लाभ देय नहीं होने से साक्षात्कार की उम्मीद्वारी आदेशानुसार ''अधिक आयु'' होने से निरस्त की जाती हैं :–

स.क्र.	रोलनंबर	नाम
01.	VS1574	राजकुमार जैन

4/ उपरोक्त पद हेतु साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त किए जाने के संबंध में अगर आवेदकों को कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाना है तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में आयोग को आपत्ति अभ्यावेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । जिन आवेदकों के आपत्ति अभ्यावेदन आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होगें, ऐसे आपत्ति अभ्यावेदन बिना विचार किए नस्तीबद्व किए जावेगें ।

13/7/17

उप परीक्षा नियंत्रक